कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–5( )कार्मिक / सा.प्र. / ननिग्रेज / 2022 / 631 दिनांकः– 28/7/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम 2006 के प्रावधानो के अन्तर्गत निम्नांकित मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी) सेवा नियम, वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15 (1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के शिड्यूल iv के अनुसार 12400/– रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक के निर्णय की प्रत्याक्षा में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं	मृतक आश्रित का नाम	मृतक से संम्बन्ध (आश्रित)	जन्म दिनांक	मृतक कर्मचारी का नाम	मृत्यु दिनांक	पद
1.	श्री सोनू	पुत्र	08.08.1994	स्व. श्रीमती सूरज देवी पत्नि स्व. श्री रमेश	24.04.2021	सफाई कर्मचारी

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. उक्त नियुक्ति वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के आदेश क्रमांक एफ–1 (2)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 13.03.06 के अनुसार संशोधित सेवा नियमों के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए सफाई कर्मचारी के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर अस्थाई नियुक्ति के रूप में दी जा रही है। परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जायेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें।
2. उक्त नियुक्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र और नियुक्ति के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी जा रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, शपथ पत्र, जानकारी के असत्य पाये जाने पर ये नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेगें। साथ ही इस सम्बन्ध में आपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अविध में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं नगर निगम जयपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
5. उपरोक्त आश्रित आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर को कार्यग्रहण रिपोर्ट देगें, निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1. सक्षम अधिकारी स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
5. दो राजपत्रित अधिकारियों का अच्छे चालचलन का प्रमाण पत्र
6. नियुक्ति के पश्चात् मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए शपथ पत्र
7. दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नही होने के शपथ पत्र
8. दहेज नही लेने–देने का शपथ पत्र
9. तंबाकू उत्पादों का सेवन नही करने का शपथ पत्र
10. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र
11. दो पासपोर्ट साईज फोटो

s/d

(महेन्द्र सोनी)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक महापौर महोदया/उप महापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक आयुक्त. नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. उपायुक्त कार्मिक नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार/सहायक लेखाधिकारी कार्मिक/प्रोग्रामर/ ई–गवर्नेन्स शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. कार्यालय अधीक्षक मु०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. अध्यक्ष, संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. सम्बन्धित कर्मचारी श्री..................................
11. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर